तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प..[illegible]......न्याय आपके द्वार-2018 में पेश हुई । पत्रावली कार्यवाही हेतु आगामी दिनांक 13.8.18..को पेश हो । प्रभारी अधिकारी (SDO) हनुमानगढ़	
13/8/18	पत्रावली पेश हुइ अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप अनुपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप अनुपस्थित पत्रावली वास्ते तलबी रिपोर्ट रिकार्ड प्रकरण आगामी पेशी दिनांक .... को पेश हो	
	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित पत्रावली वास्ते..तलबी रिपो....... आगामी पेशी दिनांक..11.3.19..... को पेश हो । 11.3.19	
11/3/19	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित पत्रावली वास्ते.....तलबी रपि० आगामी पेशी दिनांक..12.6.19..... को पेश हो ।	
	12.6.19 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रति- अभिभाषक व वादी एवं प्रतिवादी को नाम से बार-2 आवाज लगाई कोई हाजिर नहीं आया। अत: वाद-पत्र व काउंटर क्लेम प्रतिवादी अदम-पैरवी व अदम-हाजरी में खारिज किया जाता है। पर्चा लिखी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बइजलास:- रतन सिंह लाम्बा, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:- 166/02

राजा राम पुत्र राम चन्द जाति जाट निवासी डबली कलां तह टिब्बी
जिला हनुमानगढ़ —वादी -

बनाम

मोहन लाल पुत्र गुंजन राम जाति जाट नि. 12 डी.बी.एन. (डबली कलां)
तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ़ —प्रतिवादी

U/s 188 RTA

उपस्थित:- श्री जयदेव सिडाना वकील वादी
श्री राजेन्द्र संवाल वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 9/12/03

वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी चक 6 आर.जी.डी. में 2.7837 है. आराजी दर्ज रिकार्ड है। वादी रिकार्ड खातेदार काश्त करता है। उक्त आराजी में ट्यूबवैल से सिंचाई के लिए पानी लगा रहे हैं। परन्तु वादी की जिसके कुछ प्रतिवादी का खेत है वह वादी को तंग व परेशान करता रहता है और वादी की जमीन में कब्जा करना चाहते हैं। वादी खातेदार काश्त करता है और किसी खातेदार काश्तकार की भूमि अन्य खेती करना नहीं कर सकता है। वादी ने अपनी भूमि को सिंचित करने हेतु ख.न. 174/364 किला नं. 23 में नलकूप लगा रखा है। और इस नलकूप को डीजल इंजन से चलाता है। इसी से पानी लगाकर खेती करता है परन्तु प्रतिवादी वादी के नलकूप को कई बार तोड़ फोड़ करने की कोशिश की स्कीम आम जाहिर है कि वादी खातेदार है अगर प्रतिवादी अपनी भूमि पर प्रतिवादी कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादी अगर अपने मनसूबों में कामयाब हो गया तो वादी को नाकाबिल होने वाला नुकसान होगा

इस लिए प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे
1. और इस बात से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी वादी की खातेदारी भूमि
में दखलंदाजी ना करें नाही कब्जा करने की कोशिश करें। अतः वाद
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा
जारी की जावे कि वादी के खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी
ना करें व नाही कब्जा करने की कोशिश करें।

वाद पत्र पेश कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी
ने जवाबदावा पेश कर कथन किये कि वाद न्यायालय में प्रस्तुत
करते वक्त सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं
किया है। वादी की भूमि प्रतिवादी की कृषि भूमि के विपरीत [illegible] किया है। वादी की कृषि
प्रतिवादी द्वारा तंग व परेशान करने का तथ्य काल्पनिक है। वादी की कृषि
भूमि में किसी प्रकार का कब्जा करने के तथ्य भी काल्पनिक है। इसके
विपरीत वादी द्वारा अनावश्यक रूप से प्रथम प्रतिवादी की कृषि भूमि में
दखलंदाजी कारित की जा रही है। किला नं. 23 में वादी का कोई नलकूप
नहीं है। प्रतिवादी का नलकूप किला नं. 24 ख.नं. 174/364 के किला नं. 24
की मेंड़ पर लगा हुआ है। वादी द्वारा इस नलकूप के कथन मनगढ़ंत गलत
अंकित किये है। इस प्रकार के कथन कर वादी इस नलकूप पर अपना
अधिकार जताना चाहता है। जबकि उसकी कृषि भूमि का किला नं. 23 है 9,
जिसका संबंध प्रथम प्रतिवादी से नहीं है। वादी का कोई वाद कारण
प्रतिवादी के विरुद्ध उत्पन्न नहीं है।

अतिरिक्त कथनों व जवाबदावे में प्रतिवादी ने [illegible]
भूमि का विवरण पेश किया। प्रतिवादी की खसरा ख.नं. 174/364
की किला नं. 14-15-16-17-24-25 में है तथा मुरब्बा के किला 18-19-22-23
वादी का है। वादी व प्रतिवादी दोनों मिलकर प्रतिवादी को [illegible]
का [illegible] है। जिसमें प्रतिवादी द्वारा 6.10.01 को कृषि भूमि की [illegible]
का आवेदन पत्र तहसीलदार हनुमानगढ़ को दिया गया। जिसमें पटवारी व
गिरदावर द्वारा मौजिज व्यक्तियों के बीच सीमा ज्ञान करवाया गया [illegible]

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

द्वारा जानबूझ कर प्रतिवादी को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से खिला नं. 23 में खिचा लाइन की नींव को तोड़ते हुए प्रतिवादी की कृषि भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण किया जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा अधिकारी प्रबंधक खान इन्चार्ज को 14.6.02 को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन वादी ने वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश निषेधाज्ञा जारी करवा कर प्रतिवादी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। वादी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। वादी किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है वादी व उसके साथी अवैध रूप से दखलनाजी कर रहे है। जिसके लिए प्रतिवादी जरिये काउन्टर क्लेम वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी की बारा की नहर जरिया 7 में वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी कारित न करे। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का वादी द्वारा जवाबुल जवाब पेश किया गया। और खिला नं. 23 में वादी का नल कूप लगाया जाना अंकित किया वादी ने अंकित किया कि वादी को कोई उचित ... प्रतिवादी को नुकसान किए गए। प्रतिवादी हानि नहीं पहुंचाया गया। प्रतिवादी वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है

दावा, जवाबदावा व रेकार्ड के आधार पर तनकीहात कायम की गई। तहरीरी साक्ष्य में वादी ने जमाबन्दी नकल 6 RP वाला जैरवल्ड 54152 संवत 2058-6 Ex-1, हरियाणा पारिष व मशीनरी लिमि. का बिल Ex-2 बिजली कनेक्शन वादी Ex-2A, व Ex-3 बिजली कनेक्शन अर्जी Ex-3A पेश की मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं राजाराम PW-1 रामपाल PW-2 पेश किये।

प्रतिवादी ने तहरीरी साक्ष्य में गजेरा हार्डवेयर लि. का बिल Ex-A1 बिजली कनेक्शन वादी Ex-A1A, नजरी नक्शा Ex-A2 पत्र तहसीलदार इन्चार्ज को Ex-A3, पत्र उपतहसीलदार SDM शासन Ex-A4 रिपोर्ट RI नांगजोरा Ex-A5 व कई मौका Ex-A6 पेश की व मौखिक साक्ष्य में

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बयान DW-1 मोहन लाल व DW-2 हेतराम की अंकित की गई।

बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि करते हुए बतलाया कि वादग्रस्त भूमि व किला नं. 23 उसके नाम खातेदारी में रिकार्ड है किला नं. 23 में नलकूप लगा रखा है जिससे पानी लगाकर वह खेती करता है परन्तु प्रतिवादी वादी के नलकूप की कई बार तोड़ फोड़ करने की कोशिश की है चाहता है कि प्रतिवादी वादी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अतः प्रति वादी को स्थाई-निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी का किला नं. 23 में कोई नलकूप नहीं है। प्रतिवादी का किला नं. 24 में किला नं. 4 की सीर्व पर नलकूप लगा हुआ है वादी द्वारा रकबे के बयान गलत अंकित किये गये है वादी स्थाई-निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं है अतः वादग्रस्त दावा की मद 7 में अंकित भूमि में वादी किसी प्रकार की दखलन्दाजी कारित न करे उसे स्थाई-निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। वादी द्वारा पेश जमाबन्दी नकल 6 RP खाता खतौनी 54/52 संवत 2058-61 में 2.783 है. भूमि वादी के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है जिसमें विवादग्रस्त किला नं. 23 भी शामिल है। और प्रतिवादी को वादी की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है अतः प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई-निषेधाज्ञा एक आदेश की जारी की जाती है कि वह वादी की नकल 6 RP खाता खतौनी 54/52 संवत 2058-61 में दर्ज अराजी खातेदारी में दखलन्दाजी ना करे व नाही कब्जा करने की कोशिश करे। प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अपनी भूमि को साबित करने के लिए कोई जमाबन्दी या अन्य रिकार्ड पेश नहीं किया है अतः प्रतिवादी का कथन बलेग जाम्ब के अभाव में खारिज किया जाता है। पर्चा डिग्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज लिख कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] /2007

12

3

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आ021 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–	सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी	**मुकाम**	हनुमानगढ़
बइजलास:–	रतन सिंह लाम्बा आर0ए0एस0		
राजा राम	**बनाम**		सोहन लाल
दावा बाबत	188 आर.टी.ए.	मुकदमा नम्बर	166 वर्ष 2002

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कित्ताई रूबरू मेरे बहाजरी श्री जयदेव भिड़ासरा मिनजानिब मुदई व श्री राजेन्द्र भुंवाल मिनजानिब मुदायलेहम पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वह वादी की चक 6 आर.पी. खाता सं0 54/52 सम्वत् 2059–61 में दर्ज आराजी खातेदारी में दखलन्दाजी ना करें व ना ही कब्जा करने की कोशिश करे। प्रतिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अपनी भूमि को साबित करने के लिए कोई जमाबंदी या अन्य रिकार्ड पेश नहीं किया है । अतः प्रतिवादी का काउंटर क्लेम साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।

लीज.......X....... मुबलिग.......X....... बाबत.......X.......

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वशरह.......X.......

से तारीख वसूलयाबी तक.......X.......

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 09 माह 12 सन् 2005 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विवरण पक्षकार

राजा राम पुत्र रामचन्द जाति जाट सा0 डबलीकलां तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

सोहन लाल पुत्र गुंजन राम जाति जाट सा0 12 डी.बी.एल. डबलीकलां तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

तंग परेशान करता रहता है और वादी की ...

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.23 12:38:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: